न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 14/2015

1. किशनलाल पुत्र भंवरलाल जाति गुर्जर उम्र करीबन 65 वर्ष निवासी ग्राम खातौली तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

प्रार्थी

बनाम

1. अधिशाषी अभियंता अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड खंड किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांकः 13/9/2021

उपस्थितः श्री पीयूष राय प्रार्थी अभिभाषक

श्री सुमेर सिंह अप्रार्थी सं0 1

निर्णय

1. यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा जरिये वकील श्री रामदेव गुर्जर के माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत विरूद्ध अप्रार्थीगण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। वकील पक्षकार के निवेदन पर उनकी बहस सुनी गई

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि –

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में दावा किया है कि प्रार्थी ग्राम खातौली पटवार क्षेत्र खातौली के खसरा नम्बर 957/428 रकबा 1.1326 हैक्टेयर भूमि स्थित है जिसमें प्रार्थी अपने पूर्वाधिकारी पिता/दादा के समय से ही सतत् रूप से काबिज काश्त करता आ रहा है जिसमें प्रार्थी द्वारा अपने पूर्वाधिकारी के समय से ही मौके पर बाड़ा बना कर पशुओं के लिये चारागृह बनाकर, मौके पर कच्चा–पक्का निर्माण करकें मौके पर सम्पूर्ण आराजी के चारों तरफ मिट्टी की डोल डालकर कब्जा काश्त चला आ रहा हैं एवं प्रार्थी एवं प्रार्थी के पूर्वाधिकारी लगातार निर्बाध रूप से काबिज काश्त होने के कारण खातेदारी प्राप्त करने के प्रार्थी अनुतोषदायी हैं प्रार्थी द्वारा उपरोक्त आराजी में

उपखण्ड अधिकारी

अथाह आर्थिक व शारीरिक परिश्रम करके भूम को उपजाउ योग्य तैयार किया गया है। जो सुधार कि श्रेणी में आता हैं एवं प्रार्थी एवं पूर्वाधिकारी वार्णित आराजी में लगातार काबिज रहने के फलस्वरूप अप्रार्थी के न्यायालय भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत 5–6 दशको से प्रार्थी व प्रार्थी के पूर्वाधिकारी के नाम से प्रकरण दर्ज होते आ रहे है एवं प्रार्थी के पूर्वाधिकारी का कब्जा पी–14 (खसरा परिवर्तनशील) में कब्जा ताईद किया गया है। राज्य सरकार द्वारा परिपत्र राजस्थान सरकार राजस्व गुप–6 विभाग क्रमांकः/प.06 (39) राज–6/2001/6 जयपुर दिनांक 07.06.2003 को श्रीमान् बी0एस0 मीणा शासन उप सचिव द्वारा परिपत्र जारी किया गया है कि यदि सरकारी भूमि पर विगत दो वर्ष का कब्जा रिकॉर्ड से प्रमाणित होना चाहिए इसके स्थान पर यदि कोई पिछले दो वर्षो के बेदखली के नोटिस भी प्रस्तुत कर देता है तो उसे मान लिया जावे जबकी प्रार्थी व प्रार्थी के पूर्वाधिकारी विगत 40–50 वर्षो से उपरोक्त आराजी में काबिज काश्त होने के सिद्ध है एवं प्रार्थी उपरोक्त आराजी में खातेदारी अधिकारी परिपक्व हो चुके हैं यह कि राज्य सरकार द्वारा परिपत्र क्रमांक प.–9 (6) राज–5/2000/16 जयपुर दिनांक 16.10.2001 में अधिनियम पारित किया गया है कि जो विगत 10 वर्षो से सिवायचक, चरागाह भूमि में काबिज काश्त होने का व लगातार अतिक्रमण करने के कारण नियमन के अधिकार प्रार्थी को प्राप्त है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि राज्य सरकार द्वारा पारित समय–समय पर परिपत्रों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कानून की परिभाषा में इंगित किया गया हैं। यह कि उपरोक्त आराजी को बिना मौके की जांच किये बिना अप्रार्थी संख्या 1 को निन्यानवे वर्ष के लिये लीज कर दी गयी जो प्रार्थी के साम्पतिक अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। जो प्रार्थी संख्या 2 द्वारा बिना विधिक जांच, मौके की स्थिति किये बिना ऐस हस्तान्तरण/लीज जो प्रार्थी के अधिकारों पर शुन्य व निष्प्रभावी है। जिसमें प्रार्थी को खातेदार घोषित किया जाकर प्रार्थी के पक्ष में खातेदारी उद्घोषणा की डिक्री बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी फरमाये जाना आवश्यक है। प्रार्थी व प्राथ्री के पूर्वाधिकारी उपरोक्त वर्णित आराजी में विगत 40–45 वर्षो से लगातार निर्बाध रूप से काबिज काश्त हैं अप्रार्थी द्वारा उपने अधिनस्थ कार्मचारियों को निर्देशित करके प्रार्थी के उपयोग उपभोग एवं कब्जे काश्त की आराजी से बेदखल करने पर आमदा है एवं अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अवैधानिक रूप से बेदखल करके मौके पर कच्चा–पक्का निर्माण करने पर आमादा है। अतः ग्राम खातौली पटवार क्षेत्र खातौली तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर के आराजी खसरा नम्बर 957/428 रकबा 1.1326 हैक्टेयर भूमि में अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द

उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

किया जावे कि वे प्रार्थी को बेदखल नहीं करे एवं कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मदाखलत, व्यवधान, रूकावट उत्पन्न नहीं करे एवं मौके पर किसी प्रकार का कच्चा–पक्का निर्माण नहीं करे तथा ताफैसला मूल वाद मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

3. अप्रार्थीगण को नोटिस वास्ते जाहिर करने वजह (Civil Procedure Code Appendix H, Form No. 4) के तहत् जारी किये गये। अप्रार्थी सं0 1 की ओर से वकील श्री सुमेर सिंह द्वारा दिनांक 05.03.2021 को जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसकी प्रति वकील प्रार्थी को दिलाई गई। एवं अप्रार्थी सं0 2 पेरोकार सरकार की ओर से जबाव पेश नही करने पर दिनांक 18.08.2021 अप्रार्थी सं0 2 के जबाव का अवसर बन्द किया जाता हैं

3.1 अप्रार्थी सं0 1 द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया कि यह सही है कि ग्राम खातौली पटवार क्षेत्र खातौली के ख0न0 957/428 रकबा 1.1326 पर प्रार्थी अपने पूर्वजो के समय से ही काबिज काश्त करता आ रहा है तथा मौके पर बाड़ा बनाकर पशुओ के लिये चारागृह बनाकर मौके पर कच्चा पक्का निर्माण करके मौके पर सम्पूर्ण आराजी के चारो तरफ मिटी की डोल डालकर कब्जा काश्त चला आ रहा है। वास्तविकता यह है कि उक्त ख0नं0 957/428 डूंगरी है जिस पर किसी भी प्रकार की काश्त नहीं की जा रही है तो अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा किस प्रकार से खातेदारी दिये जाने बाबत् अनुशंषा की जाती। प्रार्थी के द्वारा गलत व झूठे तथ्यो का कथन किया जा रहा है कि प्रार्थी एवं प्रार्थी के पूर्वाधिकारी लगातार निर्बाध रूप से काबिज काश्त होने के कारण खातेदारी प्राप्त करने के अनुतोषदायी है। उक्त ख0न0 957/428 डूंगरी है जिस पर किसी प्रकार का कोई सुधार प्रार्थी के द्वारा नही किया गया यदि प्रार्थी या उसके पूर्वाधिकारियों द्वारा किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त या उक्त खसरे पर कोई सुधार किया जाता तो उसका रिकॉर्ड होता परन्तु प्रार्थी के द्वारा या उसके पूर्वाधिकारियों के द्वारा किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त उक्त खसरे पर नही किया गया है। उक्त खसरा रिकॉर्ड में डूंगरी है जो सरकारी जमीन है। अप्रार्थी संख्या 2 व उसके अधीनस्थ कर्मचारी के द्वारा किसी प्रकार की कोई उदासीनता उपने कर्तव्यों के प्रति नही की गयी है। उक्त ख0न0 957/428 जो कि डूंगरी है पर सार्वजनिक हित में GSS का निर्माण किये जाने हेतु निन्याणवे वर्ष की लीज कर दी गयी है एवं प्रार्थी का किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं है ना ही उक्त खसरा नम्बर पर प्रार्थी के द्वारा किसी प्रकार की कोई काश्त की गयी है। उक्त खसरा नम्बर सरकारी भूमि है जिसे प्रार्थी स्वयं यह स्वीकार करता है। उक्त भूमि सरकारी भूमि है तो सरकार को यह

उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

क्रमांक एफ6 (12) राज–6/99/8 दिनांक 30.07.2014 एवं खातौली ग्राम पंचायत खातौली तहसील कि नगढ़ के खसरा नम्बर 428 रकबा 85–13–00 किस्म गै0मु0 डूंगरी में से 07–00–00 बीघा भूमि अजमेर विद्युत वितरण निगम लि0 खण्ड किशनगढ़ के 132 झट एवं 33/11 KV GSS निर्माण हेतु अजमेर विद्युत वितरण निगम लि0 के पक्ष में आवंटित करने के आदेश प्रदान किये गये। भूमि आवंटन होने के पश्चात् विधिक अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 अजमेर विद्युत वितरण निगम लि0 खण्ड कि नगढ़ को 99 वर्श के लिये लीज पर दिया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में नामान्तरण संख्या 1486 दिनांक 21.11.2020 किया गया। प्रार्थी ने गलत कथन किये गये बिना अप्रार्थी संख्या 1 को 99 वर्श की लीज पर दी गयी। अप्रार्थी संख्या 1 को जो भूमि नवीन GSS सार्वजनिक हित के लिये है। एवं प्रार्थी के द्वारा झूठे व गलत कथन किये गये है कि प्रार्थी व प्रार्थी के पूर्वाधिकारी उपरोक्त वर्णित आराजी में विगत 40–45 वर्शो से लगातार काबिज काश्त है। वादी का किसी प्रकार का कोई कब्जा नही हैं अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा सहित खारिज किया जावे।

4. उक्त प्रकरण में वकील पक्षकारान् की बहस सुनी गई।

4.1 वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी ग्राम खातौली पटवार क्षेत्र खातौली के खसरा नम्बर 957/428 रकबा 1.1326 हैक्टेयर भूमि स्थित है जिसमें प्रार्थी अपने पूर्वाधिकारी पिता/दादा के समय से ही सतत् रूप से काबिज काश्त करता आ रहा है एवं प्रार्थी एवं पूर्वाधिकारी वर्णित आराजी में लगातार काबिज रहने के फलस्वरूप अप्रार्थी के न्यायालय भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत 5–6 दशको से प्रार्थी व प्रार्थी के पूर्वाधिकारी के नाम से प्रकरण दर्ज होते आ रहे है एवं प्रार्थी के पूर्वाधिकारी का कब्जा पी–14 (खसरा परिवर्तनशील) में कब्जा ताईद किया गया है। राज्य सरकार द्वारा परिपत्र राजस्थान सरकार राजस्व गुप–6 विभाग क्रमांकः/प.06 (39) राज–6/2001/6 जयपुर दिनांक 07.06.2003 को श्रीमान् बी0एस0 मीणा शासन उप सचिव द्वारा परिपत्र जारी किया गया है कि यदि सरकारी भूमि पर विगत दो वर्ष का कब्जा रिकॉर्ड से प्रमाणित होना चाहिए इसके स्थान पर यदि कोई पिछले दो वर्षो के बेदखली के नोटिस भी प्रस्तुत कर देता है तो उसे मान लिया जावे जबकि प्रार्थी व प्रार्थी के पूर्वाधिकारी विगत 40–50 वर्षो से उपरोक्त आराजी में काबिज काश्त होने के सिद्ध है एवं प्रार्थी उपरोक्त आराजी में खातेदारी अधिकारी परिपक्व हो चुके है। यह कि राज्य सरकार द्वारा परिपत्र क्रमांक प.–9 (6) राज–5/2000/16 जयपुर दिनांक 16.10.2001 में अधिनियम पारित किया गया है कि जो विगत 10 वर्षो से

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

अधिकार प्राप्त है कि वह अपनी भूमि को किसी सार्वजनिक प्रयोजन या लोक उपयोगिता के कार्य में ले सकती है या उसे लीज पर दे सकती है। ऐसी भूमि जो किसी सार्वजनिक प्रयोजन या लोक उपयोगिता के कार्य के लिये अर्जित पर धारित भूमि है तो उसकी खातेदारी प्रार्थी के पक्ष में घोषित नहीं की जा सकती है। प्रार्थी के उक्त खसरा नम्बर में खातेदारी के किसी भी प्रकार के कोई अधिकारी परिपक्कव नही हुये है। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में खसरा नम्बर 957/428 रकबा 85–13–00 भूमि क्षेत्रफल 1.1326 हैक्टेर का नामान्तकरण संख्या 1486 दिनांक 21.11.2020 को अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड खण्ड किशनगढ़ को 99 वर्ष के लिये लीज पर किया जा चुका है। वास्तविकता यह है कि मार्बल औद्योगिक क्षेत्र किशनगढ़ के समीप कालीडूंगरी, खातौली, रलावता, रहीमपुरा एवं सलेमाबाद क्षेत्र में एक नवीन विकसीत औद्योगिक इकाईयो को सुचारू विघुत आपूर्ति हेतु नवीन 132 KV एवं 33/11 KV ळै की स्थापना होना आवश्यक है क्योंकि ग्राम रहीमपुरा किशनगढ़ में शाहबुद्दीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया है जिसमें नियमानुसार मूलभूत सुविधाओं हेतु भूमि छोडी जानी होती है। परन्तु शाहबुद्दीन औद्योगिक क्षेत्र द्वारा मूलभूत सुविधाओं की भूमि नही छोडे जाने के कारण अजमेर विद्युत वितरण निगम लि0 द्वारा विद्युत आपूर्ति देने हेतु GSS का निर्माण किया जाना संभव नही हो पा रहा है उक्त औद्योगिक क्षेत्र के आस पास 33/11 KV मोहनपुरा GSS से विद्युत सप्लाई दी जा रही है परन्तु वर्तमान में ओवरलोड हाने के कारण उसके विद्युत कनेक्शन दिया जाना तकनीकि रूप से साध्य नहीं हो पा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने के लिये नवीन निर्माण हेतु भूमि की आवश्यता है जिससे औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित हो रही औद्योगिक ईकाइयों को उच्च गुणवतता एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति की जा सके। किशनगढ मार्बल एसोसिऐशन द्वारा भी नवीन GSS निर्माण करने बाबत् भूमि चिन्हित करने के क्रम में एक पत्र श्रीमान् प्रबन्धक निदेशक महोदय अजमेर विद्युत वितरण निगम लि0 अजमेर को दिया गया। माननीय सांसद लोकसभा अजमेर के द्वारा भी नवीन 132 KV एवं 33/11 KV GSS की स्थापना हेतु सक्षम विभागीय स्वीकृति एवं भूमि आवंटन हेतु पत्र दिया गया। जिसके लिये अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा श्रीमान् जिला कलेक्टर अजमेर को एक आवेदन भूमि आवंटित करने हेतु मांग पत्र दिया गया। श्रीमान् जिला कलेक्टर द्वारा उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ के द्वारा मय चैक लिस्ट तहसीलदार किशनगढ़ की अनुशंषा सहित तथा ग्राम पंचायत खातौली के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर राजस्व (ग्रुप 6) विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक 14 दिनांक 22.02.2013 कि अधिसूचना

उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

सिवायचक, चरागाह भूमि में काबिज काश्त होने का व लगातार अतिक्रमण करने के कारण नियमन के अधिकार प्रार्थी को प्राप्त है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि राज्य सरकार द्वारा पारित समय–समय पर परिपत्रों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कानून की परिभाषा में इंगित किया गया हैं। यह कि उपरोक्त आराजी को बिना मौके की जांच किये बिना अप्रार्थी संख्या 1 को निन्यानवे वर्ष के लिये लीज कर दी गयी जो प्रार्थी के साम्पतिक अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। जो प्रार्थी संख्या 2 द्वारा बिना विधिक जांच, मौके की स्थिति किये बिना ऐसे हस्तान्तरण/लीज जो प्रार्थी के अधिकारों पर शुन्य व निष्प्रभावी है। जिसमें प्रार्थी को खातेदार घोषित किया जाकर प्रार्थी के पक्ष में खातेदारी उद्घोषणा की डिक्री बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी फरमाये जाना आवश्यक है अप्रार्थी द्वारा उपने अधिनस्थ कार्मचारियों को निर्देशित करके प्रार्थी के उपयोग उपभोग एवं कब्जे काश्त की आराजी से बेदखल करने पर आमदा है एवं अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अवैधानिक रूप से बेदखल करके मौके पर कच्चा–पक्का निर्माण करने पर आमादा है।

4.2 वकील अप्रार्थी सं0 1 द्वारा अपनी बहस के समर्थन में नजीर 2011(1) DNJ (RAJ) 293 महेश चन्द्र वगै0 बनाम सत्यनारायण वगै0 एवं अन्य पेश की एवं जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम खातौली पटवार क्षेत्र खातौली के ख0न0 957/428 रकबा 1.1326 पर प्रार्थी अपने पूर्वजो के समय से ही काबिज काश्त करता आ रहा है तथा मौके पर बाड़ा बनाकर पशुओ के लिये चारागृह बनाकर मौके पर कच्चा पक्का निर्माण करके मौके पर सम्पूर्ण आराजी के चारो तरफ मिटी की डोल डालकर कब्जा काश्त चला आ रहा है। वास्तविकता यह है कि उक्त ख0न0 957/428 डूंगरी है जिस पर किसी भी प्रकार की काश्त नही की जा रही हैं तो अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा किसी प्रकार से खातेदारी दिये जाने बाबत् अनुशंषा की जाती। प्रार्थी के द्वारा गलत व झूठे तथ्यो का कथन किया जा रहा है कि प्रार्थी एवं प्रार्थी के पूर्वाधिकारी लगातार निर्बाध रूप से काबिज काश्त होने के कारण खातेदारी प्राप्त करने के अनुतोषदायी है। उक्त खसरा रिकॉर्ड में डूंगरी है जो सरकारी जमीन है। अप्रार्थी संख्या 2 व उसके अधीनस्थ कर्मचारी के द्वारा किसी प्रकार की कोई उदासीनता उपने कर्तव्यों के प्रति नही की गयी है। उक्त्त ख0न0 957/428 जो कि डूंगरी है पर सार्वजनिक हित में GSS का निर्माण किये जाने हेतु 99 वर्ष की लीज कर दी गयी है। एवं प्रार्थी को किसी प्रकार का कोई कब्जा नही हैं ना ही उक्त खसरा नम्बर पर प्रार्थी के द्वारा किसी प्रकार की कोई काश्त की गयी है। उक्त खसरा नम्बर सरकारी भूमि है। प्रार्थी स्वयं यह स्वीकार करता है। उक्त भूमि सरकारी

उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

भूमि है तो सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपनी भूमि को किसी सार्वजनिक प्रयोजन या लोक उपयोगिता के कार्य में ले सकती है या उसे लीज पर दे सकती है। ऐसी भूमि जो किसी सार्वजनिक प्रयोजन या लोक उपयोगिता के कार्य के लिये अर्जित पर धारित भूमि है तो उसकी खातेदारी प्रार्थी के पक्ष में घोषित नही की जा सकती है। प्रार्थी के उक्त खसरा नम्बर में खातेदारी के किसी भी प्रकार के कोई अधिकारी परिपक्कव नही हुये है। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में खसरा नम्बर 957/428 रकबा 85–13–00 भूमि क्षेत्रफल 1.1326 हैक्टेर का नामान्तकरण संख्या 1486 दिनांक 21.11.2020 को अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड खण्ड किशनगढ़ को 99 वर्ष के लिये लीज पर किया जा चुका है। जिसके लिये अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा श्रीमान् जिला कलेक्टर अजमेर को एक आवेदन भूमि आवंटित करने हेतु मांग पत्र दिया गया। श्रीमान् जिला कलेक्टर द्वारा उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ के द्वारा मय चैक लिस्ट तहसीलदार किशनगढ़ की अनुशंषा सहित तथा ग्राम पंचायत खातौली के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर राजस्व (ग्रुप 6) विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक 14 दिनांक 22.02.2013 कि अधिसूचना क्रमांक एफ 6 (12) राज–6/99/8 दिनांक 30.07.2014 एवं खातौली ग्राम पंचायत खातौली तहसील किशनगढ़ के खसरा नम्बर 428 रकबा 85–13–00 किस्म गै0मु0 डूंगरी में से 07–00–00 बीघा भूमि अजमेर विद्युत वितरण निगम लि0 खण्ड किशनगढ़ के 132 **KV** एवं 33/11 **KV GSS** निर्माण हेतु अजमेर विद्युत वितरण निगम लि0 के पक्ष में आवंटित करने के आदेश प्रदान किये गये। भूमि आवंटन होने के पश्चात् विधिक अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 अजमेर विद्युत वितरण निगम लि0 खण्ड किशनगढ़ को 99 वर्ष के लिये लीज पर दिया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में नामान्तरण संख्या 1486 दिनांक 21.11.2020 किया गया। वादी का किसी प्रकार का कोई कब्जा नही हैं अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा सहित खारिज किया जावे।

5. हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में गहनता से अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीया को अपने पक्ष में विरचित अनुतोष कि प्राप्ति हेतु निम्न तीन बिन्दु साबित करने है–(1) प्रथम दृष्टया मामला (2) सुविधा का सन्तुलन (3) अपूर्णनीय क्षति

5.1 प्रथम दृष्टया मामला– इस बिन्दु का भार प्रार्थी पर था ग्राम खातौली पटवार क्षेत्र खातौली के खसरा नम्बर 957/428 रकबा 1.1326 हैक्टेयर भूमि स्थित है ग्राम खातौली की पेश जमाबन्दी अनुसार प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में जिला कलक्टर महोदय अजमेर क्रमांक/F 12(सी) कअ/राजस्व/20/173 दिनांक 02.11.2020 द्वारा

उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

अधिक्षण अभियंता अजमेर विद्युत वितरण निगम लि0 अजमेर को जनहित में आवंटीत होकर नामान्तरण AVVNL के पक्ष में स्वीकृत होकर जमाबंदी सम्वत् 2069–72 के खाता संख्या 528 में अप्रार्थी सं0 1 का अंकन हो चुका है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के हक में सिद्ध नहीं होता है। अतः उक्त बिन्दू बहक अप्रार्थीगण विरूद्ध प्रार्थी सिद्ध है।

5.2 सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णिय क्षति– उक्त दोनो बिन्दु को साबित करने का भार प्रार्थी पर था। सुविधा कि दृष्टि से उक्त दोनो बिन्दुओ का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा ग्राम खातौली पटवार क्षेत्र खातौली के खसरा नम्बर 957/428 रकबा 1.1326 हैक्टेयर पर प्रार्थी का कब्जा नही हैं एवं उक्त खसरान् कि भूमि अप्रार्थी को श्रीमान् कलक्टर महोदय के आदेश अनुसार आवंटित हो चुकी है। अतः सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू बहक अप्रार्थीगण विरूद्ध प्रार्थी सिद्ध होता है।

उक्त प्रकरण में प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति तीनों ही बिन्दू प्रार्थी अपने पक्ष में सिद्ध करने में विफल रहे। प्रार्थी वादग्रस्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार नहीं है तथा प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि में अपना कब्जा बताया है किन्तु प्रार्थी स्वयं के कब्जे के संबंध में किसी भी प्रकार की दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहे।

प्रार्थी के रिकार्डेड खातेदार नहीं होने एवं वादग्रस्त भूमि जनहित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ नियमानुसार आवंटित हो चुकी होने से अन्य बिन्दु मूल वाद में विवादक बिन्दु कायम कर साक्ष्य दर्ज कर गुणा व गुण के आधार पर निर्णय किया जायेगा।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विरूद्ध अप्रार्थीगण निरस्त किया जाकर खारिज किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 13/09/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

(परसाराम)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)